उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या- 24/2020/601 /छप्पन-2020-115/1989 टी0सी0
लखनऊ, दिनांक: 20 मार्च, 2020

कार्यालय-ज्ञाप
(शुद्धि पत्र)

शासनादेश सं0- 22/2020/209/छप्पन-2020-115/1989 टी0सी0 दिनांक 18 मार्च, 2020 द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित म्योरपुर (सोनभद्र) हवाईपट्टी को नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु आवश्यक भूमि प्राप्त करने तथा ओ0एल0एस0 सर्वे के अनुसार अवरोध हटाए जाने हेतु रू0 8,68,634/- (रूपए आठ लाख अड़सठ हजार छह सौ चौंतीस मात्र) का प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है ।

2- अनुरोध है कि निर्गत वित्तीय स्वीकृति के प्रस्तर- 2(1) में टंकण त्रुटि के कारण वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 अंकित हो गई है, के स्थान पर **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 पढ़ा जाए।**

साथ ही निर्गत वित्तीय स्वीकृति के प्रस्तर- 6 में टंकण त्रुटि के कारण चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 अंकित हो गया है, के स्थान पर **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 पढ़ा जाए।**

3- उपर्युक्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए।

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्याः 24/2020/601(1)/छप्पन-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त, मिर्जापुर ।
(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) जिलाधिकारी, सोनभद्र ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, सोनभद्र ।
(7) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
(9) निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश ।
(10) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।